

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
(सतर्कता अनुभाग)

विषय: आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत स्वतः (Suo moto) प्रकटीकरण का कार्यान्वयन - के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषय पर आरटीआई सेल के आईडी नोट नंबर आर-11013/10/2024-आरटीआई सेल दिनांक 17.01.2024 का संदर्भ लें, जिसमें सतर्कता अनुभाग से संबंधित (स्वतः प्रकटीकरण) जानकारी हेतु अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में, सतर्कता अनुभाग में उपलब्ध वर्ष 2023-2024 तक नवीनतम/अद्यतन जानकारी का विवरण इस प्रकार है:

Sl. No.	अंक (Item)	प्रकटीकरण का विवरण (Details of disclosure)	टिप्पणी/संदर्भ बिंदु (Remark/Reference points)
1.	कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है	कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है: (i) Major/ Minor अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए लंबित (ii) Major/ Minor अनुशासनात्मक कार्यवाही (Major/ Minor Disciplinary Proceedings) जिनका अंतिम निर्धारण किया गया है।	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सतर्कता अनुभाग में 20 अनुशासनात्मक मामले Major Disciplinary Proceedings के लिए लंबित हैं। 6 मामलों में Major/ Minor अनुशासनात्मक कार्यवाही का अंतिम निर्धारण किया गया है।

अशोक कुमार
07/02/2024
(अशोक कुमार)
अवर सचिव (सतर्कता)
दूरभाष: 23388411

अवर सचिव (आरटीआई सेल), मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय

M/o I&B ID No. I-11012/1/2024-Vig.

Dated : 07 .02.2024.